

पार्किया क्र 56
 212
 5/2016
 20160039

दादा वि. विर्णप
 20/1/2016
 18/3/20
 3 वीं

देवीलाल अनाथ शिक्षा संस्थान रायपुर
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
 अहकाम
 हुक्म की
 में जारी

1312

अधिवक्ता पार्सी की पार्किया क्र 56 का उद्देश्य को मनु
 मण्डल से लालक विद्या अधिवक्ता द्वारा विवेक विद्या
 विद्या पार्सी की इस अनाथालय से निर्मित उपकरण
 करण से राहत दी जा चुकी है। अब इसमें
 कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती। अतः आगामी
 कार्यवाही शेष की जावे। अधिवक्ता को बुना
 गया तथा पूर्व निर्मित उपकरण का उपयोग
 किया अतः वास्ते आगामी कार्यवाही के पत्रावली
 दिनांक 18/3/20 को भेजा हो। *Jhu*

18/3/20

पत्रावली भेजा है। अधिवक्ता उपस्थित है।
 इस उपकरण में पार्सी आगामीपत्र से सम्बन्धित
 मूल क्र 2116 का विर्णप आज दिनांक को
 हो चुका है। अब इस उपकरण में आगे कोई
 कार्यवाही की जाना शेष नहीं है।
 अतः उपकरण इसी तरह पर विचारण
 किया जाता है। पत्रावली मूल उपकरण के साथ
 सम्बन्धित होकर भेजा हुआ है। *Jhu*

18.3.2020

सहायक न्यायाधीश (उपस्थित अधिकारी),
 रायपुर (बीलवाडी)

